

पत्रांक-श्रम क० स०-29/2015-444

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी नालंदा के 196 दिनांक 3.3.16 से 02 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 125 दिनांक 19.01.17 द्वारा खाता संख्या 3108000120121030, आई.एफ.एस.सी PUNB0310800, 6748000100069867 आई.एफ.एस.सी PUNB0674800 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रितों/लाभार्थियों के खाता में बैंक द्वारा राशि का अंतरण नहीं हो सका।

अतः पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 125 दिनांक 19.01.17 के क्रमांक 3 एवं 11 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, नालंदा का पत्रांक 445 दिनांक 5.7.18 के द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथ मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि का विमुक्ति का आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० कौशिल्या देवी, 57, अनु० जाति	श्रीमती कैलाश मांझी(पति)	196/3.3.16	ग्रा०-एरूआपर, पं०+धा०+प्र०+पो०-सरमेरा, नालंदा	310800012 0121830	PNB, SARMERA, PUNB0310800	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर
2	स्व० शरीफन खातून, सामान्य	मो० शमशुद्दीन (पति)	तदैव	ग्रा०-कड़ाह बाजार, पं०-सिलाव, वार्ड-10, पं०+प्र०-सिलाव, नालंदा	674800010 0069867	PNB, SILAO, PUNB0674800	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बीड़ी मजदूर

कुल :- ₹ 60000/-

(साठ हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० स०-29/2015 के पृष्ठ-37/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 125 दिनांक 19.01.17 के क्रमांक 3 एवं 11 एवं 137 दिनांक 8.3.17 के क्रमांक 46 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह०/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-29/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित

करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-29/2015-444

पटना, दिनांक :- 18-09-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचना प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेख संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, नालंदा को उनके पत्रांक 445 दिनांक 5.7.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके ज्ञापांक 196 दिनांक 3.3.16 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित। आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

3-16/21

17.09.18

(अजय कुमार सिंह)

लिपिक

G. S. 18/09/18

(डा0 गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

17/09/18

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।